दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

उ0प्र0 सरकार का उपक्रम

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

(ऊर्जा भवन, 220 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र सिकन्दरा, बाई पास रोड, आगरा-282007)

CIN: U31200UP2003SGC027460 | **E-mail: gstdvvnl@gmail.com** | **GSTIN: 09AACCD0695D1ZS**

पत्रांक : 281 /द0वि0वि0नि0लि0/आगरा/जी0एस0टी0 दिनांक 30/03/2020

मुख्य अभियन्ता (वितरण)/(प्रशासन)/(जानपद)/
(सामग्री प्रबन्धन I/ II)/(तकनीकि)/(वाणिज्य)
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,
आगरा/आगरा-द्वितीय/अलीगढ़/कानपुर/झाँसी/बाँदा।

//

अधीक्षण अभियन्ता (भण्डार)/
अधिशासी अभियन्ता (विद्युत भण्डार खण्ड)
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,
आगरा/अलीगढ़/कानपुर/झाँसी/बांदा।

विषय :– जी0एस0टी0 सम्बन्धी दिशा–निर्देश के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक उ0प्र0 पावर कॉरपोरेशन लि0, लखनऊ के निम्न पत्रांकों का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा जी0एस0टी0 सम्बन्धी दिशा–निर्देश दिये गयें हैं :–

- **पत्रांक 17/का0टैक्स एवं जी0एस0टी0/2020 दिनांक 24.01.2020**
- **पत्रांक 18/का0टैक्स एवं जी0एस0टी0/2020 दिनांक 06.03.2020**
- **पत्रांक 19/का0टैक्स एवं जी0एस0टी0/2020 दिनांक 13.03.2020**

उपरोक्त दिशा–निर्देशों का पालन सुनिश्चित रखें।

संलग्नक : यथोपरि।

(दिनेश रस्तोगी)
उप महाप्रबन्धक (वि0ले0सं0)

पत्रांक /द0वि0वि0नि0लि0/आगरा/ जी0एस0टी0/दिनांक /03/2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक (तकनीकी/वाणिज्य/का0प्र0 एवं प्रशा0), द0वि0वि0नि0लि0, आगरा।
2. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, द0वि0वि0नि0लि0।
3. समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी, द0वि0वि0नि0लि0।
4. समस्त अधिशासी अभियन्ता, द0वि0वि0नि0लि0।
5. उपविधि अधिकारी, द0वि0वि0नि0लि0, आगरा।
6. लेखाधिकारी (मुख्यालय भुगतान), द0वि0वि0नि0लि0, आगरा।

संलग्नक : यथोपरि।

(दिनेश रस्तोगी)
उप महाप्रबन्धक (वि0ले0सं0)

Scanned with CamScanner

उ० प्र० सरकार का उपक्रम

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

(ऊर्जा भवन, 220 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र सिकन्दरा, बाई पास रोड, आगरा-282007)

CIN: U31200UP2003SGC027460 | **E-mail:** gstdvvnl@gmail.com | **GSTIN: 09AACCD0695D1ZS**

पत्रांक :　　/द०वि०वि०नि०लि०/आगरा/जी०एस०टी०　　　　दिनांक　　/03/2020

मुख्य अभियन्ता (वितरण)/(प्रशासन)/(जानपद)/
(सामग्री प्रबन्धन I/II)/(तकनीकि)/(वाणिज्य)
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,
आगरा/आगरा–द्वितीय/अलीगढ़/कानपुर/झाँसी/बाँदा।

//

अधीक्षण अभियन्ता (भण्डार)/
अधिशासी अभियन्ता (विद्युत भण्डार खण्ड)
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,
आगरा/अलीगढ़/कानपुर/झाँसी/बांदा।

विषय :– जी०एस०टी० सम्बन्धी दिशा–निर्देश के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक उ०प्र० पावर कॉरपोरेशन लि०, लखनऊ के निम्न पत्रांकों का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा जी०एस०टी० सम्बन्धी दिशा–निर्देश दिये गयें हैं :–

- **पत्रांक 17/का०टैक्स एवं जी०एस०टी०/2020 दिनांक 24.01.2020**
- **पत्रांक 18/का०टैक्स एवं जी०एस०टी०/2020 दिनांक 06.03.2020**
- **पत्रांक 19/का०टैक्स एवं जी०एस०टी०/2020 दिनांक 13.03.2020**

उपरोक्त दिशा–निर्देशों का पालन सुनिश्चित रखें।

संलग्नक : यथोपरि।

(दिनेश रस्तोगी)
उप महाप्रबन्धक (वि०ले०सं०)

पत्रांक २४१ /द०वि०वि०नि०लि०/आगरा/ जी०एस०टी०/दिनांक 30 /03/2020
प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक (तकनीकी/वाणिज्य/का०प्र० एवं प्रशा०), द०वि०वि०नि०लि०, आगरा।
2. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, द०वि०वि०नि०लि०।
3. समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी, द०वि०वि०नि०लि०।
4. समस्त अधिशासी अभियन्ता, द०वि०वि०नि०लि०।
5. उपविधि अधिकारी, द०वि०वि०नि०लि०, आगरा।
6. लेखाधिकारी (मुख्यालय भुगतान), द०वि०वि०नि०लि०, आगरा।

संलग्नक : यथोपरि।

(दिनेश रस्तोगी)
उप महाप्रबन्धक (वि०ले०सं०)

Scanned with CamScanner

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

CIN: U32201UP1999SGC024928 | GSTN: 09AAACU5088M4ZM

कारपोरेट टैक्स एवं जी0एस0टी0 सेल Corporate Tax & GST Cell

कक्ष संख्या–320,तृतीय तल, शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001, ई–मेल - dgmtaxuppcl@gmail.com
Room No.– 320 IIIrd Floor, Shakti Bhawan, 14-Ashok Marg, Lucknow-226001, RAX – **8320,**

पत्रांक 17 /का0टैक्स एवं जी0एस0टी0/2020 दिनांक 24/01/2020

समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी
उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0

विषयः– जमा कार्यों एवं AMC पर जी0एस0टी0 एवं इनपुट टैक्स क्रेडिट के सम्बन्ध में।

1. **ऐसे प्रकरण जहाँ जमा मद में राशि GST से पूर्व प्राप्त हुई है एवं कार्य GST लागू होने के उपरान्त सम्पादित हुआ है।**

संज्ञान में आया है कि जमा मद में विभागीय कार्यों को कराये जाने पर जी0एस0टी0 की देयता के सम्बन्ध में संशय की स्थिति उत्पन्न हो रही है। प्रायः खण्ड से जमा मद के सापेक्ष धनमांग पत्र प्राप्त होने पर यह अवगत कराया जाता है कि जमा धनराशि एवं प्राक्कलन जी0एस0टी0 लागू होने की तिथि से पूर्व का है जिसके कारण जी0एस0टी0 लागू नहीं होता है जब कि कार्य की पूर्णता जी0एस0टी0 लागू होने के पश्चात हो रही होती है। इसके अतिरिक्त ऐसे प्रकरण जिनमें जमा कार्यों के विरूद्ध आंशिक धनराशि जी0एस0टी0 लागू होने से पूर्व प्राप्त हुई है एवं अतिरिक्त आंशिक धनराशि जी0एस0टी0 लागू होने के पश्चात प्राप्त हुई है, ऐसे में जी.एस.टी. भुगतान को लेकर भ्रम की स्थिती बनी हुई है।

जी.एस.टी. नियमों के अनुसार जी.एस.टी. की देयता कार्य सम्पादित करने पर उत्पन्न होती है। उपरोक्त प्रकरणों में चूंकि कार्य जी.एस.टी. लागू होने के पश्चात सम्पन्न हुआ है, अतः कथित कार्यों पर जी.एस.टी. लागू होगा एवं कार्य की कुल लागत पर जी.एस.टी. देय होगा।

उपरोक्त प्रकरणों में इकाइयों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रकिया निम्नलिखित अनुसार है।

1. जी0एस0टी0 लागू होने के पश्चात निर्गत प्राक्कलनों में जी0एस0टी0 चार्ज कर वसूला जाना सुनिश्चित करें। प्राक्कलनों में जी0एस0टी0 चार्ज करने एवं धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त इकाई द्वारा Receipt Voucher निर्गत किया जायेगा।
2. कार्य समाप्ती पर इकाई द्वारा पूर्ण राशि की Tax Invoice निर्गत की जायेगी।
3. जी0एस0टी0 लागू होने से पूर्व के प्राक्कलनों में जी0एस0टी0 चार्ज नही किया गया होगा किन्तु Tax Invoice निर्गत करने पर जी0एस0टी0 जमा करने का दायित्व पूर्ण राशि पर होगा, अतः जी0एस0टी0 के अन्तर को Tax Invoice निर्गत करने से पूर्व वसूल लिया जाए।

उदाहरण के लिये–

क)	सम्पूर्ण कार्य की अनुमानित लागत	रू0 100/– करोड़
ख)	जी0एस0टी0 से पूर्व की गयी वसूली	रू0 40/– करोड़
ग)	जी0एस0टी0 के बाद की गयी वसूली +GST@18%	रू0 60/– करोड़ रू0 10.8/– करोड़
	कुल राशि	रू0 70.8/– करोड़
घ)	कुल वसूल की गयी राशि (रू0 40/–करोड़ + रू0 60/– करोड़ + रू0 10.8/–करोड़)	रू0 110.8/– करोड़
ड़)	कार्य समाप्ति पर निर्गत Tax Invoice की राशि +GST	रू0 100/– करोड़ रू0 18/– करोड़
	कुल राशि	रू0 118/– करोड़
च)	कम वसूली गयी राशि (रू0118/– करोड़ – GST रू0110.8/– करोड़)	रू0 7.2/– करोड़ (जो कि रू0 40/– करोड़ का 18% है।)

सारणी के बिन्दु सं0 'च' के सन्दर्भ में इस राशि को उपरोक्त बिन्दु सं0 3 के अनुसार Tax Invoice निर्गत करने से पूर्व वसूलना सुनिश्चित किया जाये। इकाइयाँ पूर्व में निर्गत दिशा–निर्देश सं0 08/उ0म0प्र0(टैक्स)/जी0एस0टी0 सेल/2018 दिनांक 23.02.2018 एवं दिशा–निर्देश सं0 15/उ0म0प्र0(टैक्स)/जी0एस0टी0 सेल/2019 दिनांक 09.04.2019 एवं उपरोक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें एवं यह भी सुनिश्चित करें कि जमा कार्य सम्बंधित टैक्स इनवाईस कार्य समाप्ति के 30 दिन के भीतर इकाई द्वारा निर्गत कर दी जाये।

इसके अतिरिक्त इनवाईस निर्गत करते समय दिशा–निर्देश सं0 08/उ0म0प्र0(टैक्स)/जी0एस0टी0 सेल/2018 दिनांक 23.02.2018 में अंकित जमा कार्यों का HSN/SAC Code 999799 के स्थान पर 998631 उपयोग किया जाये।

2. Annual Maintenance Charges पर जी0एस0टी0 के सम्बन्ध में।

संज्ञान में आया है कि कुछ इकाईयों द्वारा AMC के प्राक्कलन बनाते समय पूर्व में निर्गत दिशा–निर्देश सं0 08/उ0म0प्र0(टैक्स)/जी0एस0टी0 सेल/2018 दिनांक 23.02.2018 एवं दिशा–निर्देश सं0 15/उ0म0प्र0(टैक्स)/जी0एस0टी0 सेल/2019 दिनांक 09.04.2019 का अनुपालन सही रूप से नही किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना चाहेंगे कि कथित दिशा–निर्देश मुख्यतः ऐसे प्रकरणों के लिये है जहाँ किसी सम्पत्ति का निमार्ण किया जाता है एवं जिसकी मालिकियत निगम की होती है जिसके परिणाम स्वरूप जी0एस0टी0 में इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) उपलब्ध नही होता है, अतः प्राक्कलन में दो बार जी0एस0टी0 भारित किया जाता है। किन्तु AMC के प्रकरणों में किसी नयी सम्पत्ति का निर्माण नही किया जाता, अतः AMC सेवाऐ प्रदान करने के लिये उपयोग किये गये माल अथवा सेवाओं पर भुगतान किया गया जी0एस0टी0 का इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) निगम को उपलब्ध होगा तद्नुसार प्राक्कलन बनाते समय सिर्फ एक बार अन्त में जी0एस0टी0 भारित किया जायेगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) से संबंधित दिशा–निर्देश सं 02/उ0म0प्र0(टैक्स)/जी0एस0टी0 सेल/2017–18 दिनांक 25.07.2017 के द्वारा निर्गत किये जा चुके है।

इसके अतिरिक्त AMC सेवाऐ जी0एस0टी0 में Continuous Services की श्रेणी में आती है अतः इकाइयों द्वारा टैक्स इनवाईस उपभोक्ता के प्रत्येक भुगतान पर निर्गत किया जायेगा। AMC सेवाओं के प्रकरणों में Receipt Voucher निर्गत नही किया जायेगा। (AMC सेवाओं का HSN/SAC Code - 998631)

कृपया ध्यान दे कि किसी भी माल अथवा सेवाओं पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) बीजक के आधार पर उपलब्ध होता है, अतः जिस बीजक का इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) लिया गया हो उसको अलग से संभाल कर रखा जाये एवं उसकी सूचना जल्द से जल्द परिक्षेत्रिय लेखा कार्यालयों के माध्यम मुख्यालय स्थित जी0एस0टी0 सेल को GSTR-2 Format में उपलब्ध करायी जाये। इसके अतिरिक्त ज्ञात हो कि इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) लेने की अंतिम तिथि बीजक तिथि के वित्तीय वर्ष के बाद वाले वित्तीय वर्ष की 30 सितम्बर होती है। उदाहरण के लिये अगर बीजक तिथि 01.04.2019 से 31.03.2020 है, तो बीजक वित्तीय वर्ष 2019–20 से संबधित है अतः इस बीजक का इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) 30/09/2020 तक ही लिया जा सकता है।

(अनिल कुमार अवस्थी)
मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा)

दिशा–निर्देश सं0: 17 /उ0म0प्र0(टैक्स)/जी0एस0टी0सेल /2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रबन्ध निदेशक/समस्त निदेशक निजी सचिव, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
2. निदेशक (वित्त), मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0 /केस्को/लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा/कानपुर।
3. मुख्य महाप्रबन्धक (सम्प्रेक्षा), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
4. उप महाप्रबन्धक (सामग्री प्रबन्ध), परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय, महानगर लखनऊ को इस अनुरोध के साथ के अपने अधीनस्थ इकाईयों को तदनुसार सूचित करने की कृपा करें।
5. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन/कारपोरेट लेखा) उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
6. उप मुख्य लेखाधिकारी (निधि), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
7. उप निदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ।
8. अनुसचिव (स0 प्र0 लेखा), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. लेखाधिकारी (मुख्यालय भुगतान)/केन्द्रीय भुगतान प्रकोष्ठ/पी0एम0यू0, उ0प्र0 पा0 का0 लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, रूम नं0 409, चतुर्थ तल शक्ति भवन को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(अनिल कुमार अवस्थी)
मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

CIN: U32201UP1999SGC024928 | GSTN: 09AAACU5088M4ZM

कारपोरेट टैक्स एवं जी0एस0टी0 सेल Corporate Tax & GST Cell

कक्ष संख्या–320,तृतीय तल, शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001, ई–मेल - dgmtaxuppcl@gmail.com

Room No.– 320 IIIrd Floor, Shakti Bhawan, 14-Ashok Marg, Lucknow-226001, RAX – 8320,

पत्रांक 18 /का0टैक्स एवं जी0एस0टी0/2020 दिनांक 06/03/2020

समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी

उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।

विषयः– Government Entity को प्राप्त होने वाले लाभों के सम्बन्ध में।

जी0एस0टी0 नियमों के अनुसार Government Entity की परिभाषा निम्नलिखित अनुसार है–

"Government Entity" means an authority or a board or any other body including a society, trust, corporation, i) set up by an Act of Parliament or State Legislature; or ii) established by any Government, with 90per cent. or more participation by way of equity or control, to carry out a function entrusted by the Central Government, State Government, Union Territory or a local authority.".

उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 उपरोक्त परिभाषा को पूर्ण करता है, अतः उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 जी0एस0टी0 नियमों के अनुसार Government Entity है।जी0एस0टी0 नियमानुसार Government Entity को निम्नलिखित लाभ प्राप्त है:

1. जी0एस0टी0 की अधिसूचना संख्या 32/2017-CT(Rate) दिनांक 13.10.2017 के अनुसार Government Entity द्वारा केन्द्र सरकार/राज्य सरकार अथवा लोकल अथॉरिटी को दी जाने वाली सेवाओ पर, जिसका प्रतिफल केन्द्र सरकार/राज्य सरकार अथवा लोकल अथॉरिटी द्वारा अनुदान (Grant) के रूप में दिया जायेगा, जी.एस.टी. की दर शून्य होगी।
2. मध्यस्थ न्यायाधिकरण/अधिवक्ताओं की साझेदारी फर्म/व्यक्तिगत वकीलों द्वारा प्रदान की जाने वाली कानूनी सेवाओं के भुगतान पर RCM के तहत जी0एस0टी0 देय नही होगा।
3. केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ शासित क्षेत्र, स्थानीय निकाय द्वारा भूमि के पट्टे के रूप में प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर जी0एस0टी0 देय नही होगा
4. निगम द्वारा आवासीय परिसर जिसका उपयोग स्वयं के प्रयोजन से हो या उनके कर्मचारियों के प्रयोगार्थ हो के निर्माण, संरचना, स्थापना, पूरा करने मरम्मत करने, नवीनीकरण करने या परिवर्तन करने पर ठेकेदारों को देय जी0एस0टी0 की दर 12 प्रतिशत लागू होगी।

(ए0 के0 गुप्ता)
अधिशासी निदेशक(लेखा एवं सम्प्रेक्षा)

दिशा–निर्देश सं0: 18 /उ0म0प्र0(टैक्स)/जी0एस0टी0सेल/2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रबन्ध निदेशक/समस्त निदेशक निजी सचिव, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
2. निदेशक (वित्त), मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0 /केस्को/ लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा/कानपुर को इस आशय के साथ कि अपने कर सलाहकार से Government Entity हेतु चर्चा कर अपने स्तर से अग्रेतर कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
3. मुख्य महाप्रबन्धक (सम्प्रेक्षा), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
4. उप महाप्रबन्धक (सामग्री प्रबन्ध), परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय, महानगर लखनऊ को इस अनुरोध के साथ के अपने अधीनस्थ इकाईयों को तदनुसार सूचित करने की कृपा करें।
5. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन/कारपोरेट लेखा) उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
6. वरिष्ठ लेखाधिकारी (निधि), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
7. उप निदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ।
8. अनुसचिव (स0 प्र0 लेखा), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. लेखाधिकारी (मुख्यालय भुगतान)/केन्द्रीय भुगतान प्रकोष्ठ/पी0एम0यू0, उ0प्र0 पा0 का0 लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, रूम नं0 409, चतुर्थ तल शक्ति भवन को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(ए0 के0 गुप्ता)
अधिशासी निदेशक(लेखा एवं सम्प्रेक्षा)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

CIN: U32201UP1999SGC024928 | GSTN: 09AAACU5088M4ZM

कारपोरेट टैक्स एवं जी0एस0टी0 सेल Corporate Tax & GST Cell

कक्ष संख्या–320,तृतीय तल, शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001, ई–मेल - dgmtaxuppcl@gmail.com

Room No.– 320 IIIrd Floor, Shakti Bhawan, 14-Ashok Marg, Lucknow-226001, RAX – 8320,

पत्रांक 19 /का0टैक्स एवं जी0एस0टी0/2020 दिनांक / /2020

समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी
उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।

जी0एस0टी0 अधिनियम के Schedule III के अनुसार नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को उसकी सेवा के सापेक्ष दी जाने वाली राशि (वेतन इत्यादि) जी0एस0टी0 से कर मुक्त है किन्तु कर्मचारी द्वारा नियोक्ता को किसी सेवा के सापेक्ष दी जाने वाली राशि जी0एस0टी0 के दायरे में आयेगी।

निगम द्वारा कार्मिकों से निम्नलिखित विभिन्न मदो में राशि वसूली जाती है–

1. कॉलोनी आवास के सापेक्ष किराये की राशि।
2. विभागीय वाहन निजी कार्य हेतु उपयोग करने पर वसूली गयी राशि।
3. विद्युत कटौती।
4. कर्मचारी द्वारा अनुबंधित अवधि से पहले त्यागपत्र देने पर बॉण्ड की राशि।
5. कर्मचारी द्वारा त्यागपत्र देने पर निर्धारित नोटिस अवधि से कम अवधि के नोटिस देने पर वसूली गयी राशि इत्यादि।

उपरोक्त वसूलियों पर जी0एस0टी0 की देयता–

1. **कॉलोनी आवास के सापेक्ष किराये की राशि**

   चूंकि आवसीय किराये पर जी0एस0टी0 लागू नहीं होता। अतः आवसीय किराये की वसूली पर जी0एस0टी0 की देयता नही बनती है।

2. **विभागीय वाहन निजी कार्य हेतु उपयोग करने पर वसूली गयी राशि**

   निगम द्वारा कुछ कार्मिकों को विभागीय वाहन की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है एवं इस सुविधा के सापेक्ष कार्मिकों से कुछ राशि वसूली जाती है। इस परिस्थिति में वसूली गयी राशि पर जी0एस0टी0 देय होगा। इकाईयों द्वारा जी0एस0टी0 अनुपालन हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

   क) कार्मिकों से वसूली गयी राशि जी0एस0टी0 सम्मिलित मान कर उसमें से उल्टी गणना कर जी0एस0टी0 निकाला जायेगा एवं जी0एस0टी0 जमा कराया जायेगा। इकाई द्वारा प्रत्येक कर्मचारी/अधिकारी को Tax Invoice जारी करना होगा एवं इसकी सूचना सम्बन्धित माह के जी0एस0टी0 रिटर्न में भी दर्शानी होगी।

   ख) सेवाप्रदाता (वाहन स्वामी) द्वारा निर्गत बीजक पर भुगतान किया गया जी0एस0टी0 निगम को Input Tax Credit के रूप में उपलब्ध होगा जिसका उपयोग उपरोक्त जी0एस0टी0 की देयता के सापेक्ष समायोजन हेतु किया जा सकेगा।

   उदाहरण हेतु–

   - सेवाप्रदाता (वाहन स्वामी) से प्राप्त बीजक

Renting of Vehicle Service Value	20,000
+ GST @ 18%	3600
Total	23,600

- इकाई द्वारा कार्मिक से वसूली गयी राशि = ₹ 500/-
- इकाई द्वारा कार्मिकों को बिन्दु सं0 'क' के अनुसार निम्नलिखित अनुसार Tax Invoice निर्गत करना होगा–

Renting of Vehicle Service Value	423
Vehicle + GST @ 18%	77
Total	500

- इकाई द्वारा उपरोक्त Tax Invoice निर्गत करने पर ₹ 77/- जी0एस0टी0 की देयता आयेगी। इकाई द्वारा सेवाप्रदाता (वाहन स्वामी) को भुगतान किये गये जी0एस0टी0 (₹ 3600/-) में से देय जी0एस0टी0 (₹ 77/-) का इन्पुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध होगा एवं इसका समायोजन देय जी0एस0टी0 (₹ 77/-) के सापेक्ष किया जा सकेगा। तद्नुसार इकाई द्वारा जी0एस0टी0 जमा करने हेतु कोई अतिरिक्त भार नहीं आयेगा।

ग) इकाई द्वारा जी0एस0टी0 जमा कराने हेतु जी0एस0टी0 दर एवं HSN Code वही उपयोग किया जायेगा जो सेवाप्रदाता (वाहन स्वामी) द्वारा निर्गत बीजक पर अंकित हो। अन्यथा की स्थिति में GST दर 18 प्रतिशत एवं HSN Code 9966 उपयोग किया जायेगा। कार्मिकों से वसूली गयी राशि का Tax Invoice संगत इकाई द्वारा कार्मिकों को निर्गत करना होगा।

घ) इनपुट टैक्स क्रेडिट से सम्बन्धित नियम निम्नलिखित अनुसार है –

i. इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने से पहले इकाईयां मुख्यालय स्थित जी0एस0टी0 सेल के माध्यम से सुनिश्चित करें कि कथित व्यय निगम के GSTR-2A में दिखाई दे रहा है या नहीं। कोई भी व्यय जिसकी सूचना विक्रेता/सेवाप्रदाता द्वारा अपने जी0एस0टी0 रिटर्न में दी गयी हो, वहीं निगम के GSTR-2A में दिखाई देगा।

ii. किसी भी माल अथवा सेवाओं पर इनपुट टैक्स केडिट (ITC) बीजक के आधार पर उपलब्ध होता है, अतः जिस बीजक का इनपुट टैक्स केडिट (ITC) लिया गया हो उसको अलग से संभाल कर रखा जाये एवं उसकी सूचना जल्द से जल्द परिक्षेत्रिय लेखा कार्यालयों के माध्यम मुख्यालय स्थित जी0एस0टी0 सेल को GSTR-2 Format में उपलब्ध करायी जाये। इसके अतिरिक्त ज्ञात हो कि इनपुट टैक्स केडिट (ITC) लेने की अंतिम तिथि बीजक तिथि के वित्तीय वर्ष के बाद वाले वित्तीय वर्ष की 30 सितम्बर होती है। उदाहरण के लिये अगर बीजक तिथि 01.04.2019 से 31.03.2020 है, तो बीजक वित्तीय वर्ष 2019–20 से संबधित है अतः इस बीजक का इनपुट टैक्स केडिट (ITC) 30/09/2020 तक ही लिया जा सकता है।

iii. इकाईयां ये भी सुनिश्चित करें कि जिस टैक्स इनवाईस का इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया गया हो उसका भुगतान इनवाईस दिनांक से 180 दिन के भीतर कर दिया जाये, 180 दिन के भीतर भुगतान न होने की दशा में इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्याज सहित रिवर्स करना होगा। किन्तु भुगतान उपरान्त इनपुट टैक्स क्रेडिट वापस क्लेम किया जा सकता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त मुख्यालय स्थित जी0एस0टी0 सेल द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा–निर्देश सं0 02/उ0म0प्र0 (टैक्स)/जी0एस0टी0सेल/2017–18 दिनांक 25.07.2017 में अंकित इनपुट टैक्स क्रेडिट सम्बन्धित नियमों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाये।

3. **विद्युत कटौती**

चूंकि विद्युत वितरण जी0एस0टी0 मुक्त है, अतः विद्युत कटौती की वसूली पर जी0एस0टी0 देय नहीं होगा।

4. **कर्मचारी द्वारा अनुबंधित अवधि से पहले त्यागपत्र देने पर बॉण्ड की राशि**

बॉण्ड मनी की प्राप्ति पर जी0एस0टी0 की देयता CGST Act के Schedule II के बिन्दु सं0 5(e) " Agreeing to or to tolerate act or a situation" के अनुसार सेवा मानते हुए बनती है जिसका SAC Code - 999794 है एवं वर्तमान में जी0एस0टी0 दर 18 प्रतिशत है।

5. **कर्मचारी द्वारा त्यागपत्र देने पर निर्धारित नोटिस अवधि से कम अवधि के नोटिस देने पर वसूली गयी राशि इत्यादि**

त्याग पत्र के उपरान्त प्राप्त धनराशि को CGST Act के Schedule II के बिन्दु सं0 5(e) "Agreeing to or to tolerate act or a situation" के अनुसार सेवा माना जायेगा एवं तदनुसार इस धनराशि पर जी0एस0टी0 की देयता बनती है। कथित सेवा का SAC Code - 999794 है एवं वर्तमान जी0एस0टी0 दर 18 प्रतिशत है।

उपरोक्त बिन्दु सं0 4 एवं 5 के सन्दर्भ में सुझाव दिया जाता है कि जी0एस0टी0 एक अप्रत्यक्ष कर है एवं इसको हमेशा ही सेवा मूल्य (Service Value) के अतिरिक्त ही वसूला जाता है। किन्तु किसी कारणवश यदि जी0एस0टी0 सेवा मूल्य के अतिरिक्त नहीं वसूला गया हो ऐसी परिस्थितियों में वसूली गयी राशि को ही सेवा मूल्य + जी0एस0टी0 मान लिया जायेगा एवं उल्टी गणना करते हुए जी0एस0टी0 की राशि का आंकलन कर सरकार के खाते में जमा कराया जायेगा। अतः कथित प्रकरण में अगर जी0एस0टी0 की राशि कार्मिकों से अतिरिक्त रूप से वसूली जा सकती है तो उसे वसूला जाये अन्यथा प्राप्त धनराशि को ही जी0एस0टी0 सम्मिलित माना जाये। किन्तु भविष्य में होने वाले अनुबन्धों में "Plus Applicable GST" Clause जुड़वा दिया जाये।

कृपया उपरोक्त का अनुपालन सुनिश्चित करें।

(ए0 के0 गुप्ता)
अधिशासी निदेशक (वित्त एवं लेखा)

दिशा–निर्देश सं0: 19 / का0टैक्स एवं जी0एस0टी0 / 2020 तद्दिनांक 13/03/2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रबन्ध निदेशक / समस्त निदेशक निजी सचिव, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
2. निदेश (वित्त), मध्यांचल / पूर्वांचल / पश्चिमांचल / दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0 / केस्को / लखनऊ / वाराणसी / मेरठ / आगरा / कानपुर।
3. मुख्य महाप्रबन्धक (सम्प्रेक्षा), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
4. उप महाप्रबन्धक (सामग्री प्रबन्ध), परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय, महानगर लखनऊ को इस अनुरोध के साथ के अपने अधीनस्थ इकाईयों को तदनुसार सूचित करने की कृपा करें।
5. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन / कारपोरेट लेखा) उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
6. वरिष्ठ लेखाधिकारी (निधि), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
7. उप निदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ।
8. अनुसचिव (स0 प्र0 लेखा), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. लेखाधिकारी (मुख्यालय भुगतान) / केन्द्रीय भुगतान प्रकोष्ठ / पी0एम0यू0, उ0प्र0 पा0 का0 लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, रूम नं0 409, चतुर्थ तल शक्ति भवन को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(ए0 के0 गुप्ता)
अधिशासी निदेशक (वित्त एवं लेखा)